

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत

मुकाम

परतारी

बनाम

राजश्री

किस्म मुकदमा

212 RMA

नं.

71

सन्

2024

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुये

5/5/25

वकील सायल उर्फ गोरामल 181, के
अभिजात की रीति बचल उर्फ सायल
पर वकील उर्फ को हुन गया वकील
सायल के सायल में अहित लपो मोदोहा
हुए दिनांक 16/08/24 को जारी अन्तर्ग
अर्थात् निवेद्यालयों गल वाद के निवेदि व क
पुष्ट किए जाने का अर्थ है। वकील गोरामल
181, के कोई आपत्ति नहीं की अथ गोरामल
के गल वाद एवं इस प्रत्यय को अटल रही है।
ई। अतः दिनांक 16/8/24 को जारी अन्तर्ग अर्थात्
निवेद्यालय का भी जारी गोरामल के विरोध नहीं किया है।
अतः सायल सायल लीवाट रूप पाकर दिनांक
16/8/24 को जारी अन्तर्ग अर्थात् निवेद्यालय
को गल वाद के निवेदि व क अहित अर्थात्
ई। पत्रावली के लाल गुणा होवा मतल
अथ ही गल वाद की पत्रावली के सायल लीवाट

उपस्थित अधिकारी
घोलपुर (राजग)